भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4486

उत्तर देने की तारीख : 28.03.2023

नशामुक्ति केन्द्र

4486. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नशामुक्ति केंद्रों में रोगियों के लिए किस-किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान देश में नशामुक्ति केंद्रों में भर्ती और वहां से मुक्त किए गए रोगियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(ग) उन पदार्थों का ब्यौरा क्या है जो औषध की परिभाषा में शामिल हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): एनएपीडीडीआर स्कीम के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सहायताप्राप्त नशामुक्ति केन्द्रों में मरीजों को नि:शुल्क नशामुक्ति उपचार सेवा देखभाल यथा डिटॉक्सिफिकेशन, परामर्श, चिकित्सा, आवास एवं भोजन, योग-चिकित्सा सत्र, मनोरंजन संबंधी सुविधाएं, अध्यात्मिक तथा सचेतन सत्र आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ख): गत पांच वर्षों के दौरान देश में नशामुक्ति केन्द्रों से लाभान्वित मरीजों की वर्ष-वार संख्या निम्नवत है :-

(i)	वित्तीय वर्ष 2017-18:	114759
(ii)	वित्तीय वर्ष 2018-19:	77479
(iii)	वित्तीय वर्ष 2019-20:	93364
(iv)	वित्तीय वर्ष 2020-21:	208415
(v)	वित्तीय वर्ष 2021-22:	28640

(ग): ड्रग्स की परिभाषा में सम्मिलित नशीले पदार्थ निम्नवत हैं : -

- एल्कोहल
- कैनबिस
- सिंथेटिक कैनबिनोइड्स
- ओपिएड्स
- सेडेटिव्स, हिपनोटिक्स अथवा एंजीयोलिटिक्स
- कोकेन
- एम्फेटमाइन्स मिथएम्फेटमाइन अथवा मिथकेथिनन सहित स्टिमुलेंट्स
- सिंथेटिक कैथिनोंज
- कैफीन
- हैलूसिनोजेन्स
- निकोटिन
- वोलेटिल इनहेलेंट्स
- एमडीएमए
- केटमाइन तथा फिनसाइक्लिडाइन सहित डिसोसिएटिव ड्रग्स (पीसीपी)

*****